उद्योगों पर बोझ बने 948 सरकारी नियम खत्म

लखनऊ। प्रदेश में उद्यमियों को राहत देने और औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने 4,600 से ज्यादा व्यवसाय और नागरिक केंद्रित अनुपालनों को कम किया है। 577 प्रावधानों का गैर अपराधीकरण भी किया गया है। यूपी में कारोबार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए 33 विभागों के 948 गैरजरूरी नियमों व अधिनियमों को खत्म किया गया है। यह जानकारी इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव अभिषेक प्रकाश ने दी। वे बृहस्पतिवार को औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से हुई वर्कशॉप में बोल रहे थे।

राजधानी में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 एंड रिड्यूसिंग कंप्लाइंसेस बर्डन (अनुपालन भार को कम करना) विषयक वर्कशॉप में अभिषेक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों की नियुक्ति, निवेश मित्र-सिंगल विंडो पोर्टल से 490 से ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं। यूपी को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत अचीवर स्टेट की मान्यता दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार यूपी ने उद्योग में सुधारों की 100 फीसदी कार्यान्वयन दर हासिल की है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश आकर्षित होता है, रोजगार सृजित होते हैं और सरकारी राजस्व भी बढ़ता है। ब्यूरो

वर्कशॉप में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दी जानकारी

कार्यशाला का उद्घाटन करते इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश। -विभाग